(163)

समाहरणालय मधेपुरा

(जिला स्थापना शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0 जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक–20.03.2017 के 5.00 बजे अपराह्न में जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति, मधेपुरा द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा विभागीय निदेश(सामान्य प्रशासन विभाग) पढ़कर सुनाया गया। जिला अनुकम्पा समिति के विचारार्थ निम्नांकित विवरणी के अनुरूप प्राप्त आवेदन पत्रों/ अभिलेखों को उपस्थापित किया गया :–

01.	समाहरणालय संवर्ग :–	05
02.	सिविल सर्जन कार्यालय, मधेपुरा :–	03
03.	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा:–	01
04.	लघु सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज :–	01
05.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) कार्यालय, मधेपुरा :–	02
	कुल योग :–	12(बारह)

क्र0	आवेदक का नाम	पिता/माता/पति का नाम/ पदनाम / कार्यालय का नाम एवं पता	दिनांक–20.03.2017 को जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिया गया निर्णय
1	मसो0 उषा रानी ठाकुर	स्व0 आमोद रंजन, जनसेवक, प्रखण्ड कार्यालय, पुरैनी।	पूर्व में दिनांक–19.11.2016 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलाके में आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को उम्र क्षान्त करने संबंधी प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है। इस संदर्भ में विचारोपरान्त जिला अनुकम्पा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वांछित प्रतिवेदन हेतु स्मारित किया जाय तथा उम्र क्षान्त संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुकम्पा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।
2	श्रीमती रेखा देवी	स्व0 रामनारायण पौद्दार, भूतपूर्व दफ्तरी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा	पूर्व में दिनांक–19.11.2016 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में आवेदिका द्वारा किस तिथि को अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया था, के संबंध में प्रतिवेदन एवं कार्यालय डायरी की माँग कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा से की गयीं थी, जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा के पत्रांक–1708,दिनांक–21.12.16 द्वारा आवेदिका के आवेदन की छायाप्रति एवं कार्यालय में किये गये डायरी की छायाप्रति समर्पित किया गया। जिसके अनुसार आवेदिका द्वारा आवेदन समय सीमा के अन्दर कार्यालय में समर्पित किया गया है।

			तदोपरान्त जिला अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदिका को समूह'घ'(चतुर्थ वर्ग) में नियुक्ति करने हेतु संबंधित नियोक्ता को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
3	श्री अखिलेश कुमार	स्व0 शिवन मंडल, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, जिला शिक्षा कार्यालय, मधेपुरा	पूर्व में दिनांक–19.11.2016 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में आश्रितों के भरण पोषण करने संबंधी मूल शपथ पत्र की माँग जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, मधेपुरा से की गयी थी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, मधेपुरा के पत्रांक–789, दिनांक–24.12.16 से आश्रितों के भरण पोषण करने संबंधी आवेदक का मूल शपथ पत्र समर्पित किया गया है। तदोपरान्त जिला अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को समूह'ग'(तृतीय वर्ग) में नियुक्ति करने हेतु संबंधित नियोक्ता को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
4	श्री रवि कुमार विश्वास	स्व0 समोली देवी, भूतपूर्व ए0एन0एम0, प्रा0स्वा0केन्द्र, बिहारीगंज	पूर्व में दिनांक–19.11.2016 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सिविल सर्जन, मधेपुरा के पत्रांक–1636, दिनांक–24.12.16 द्वारा सेवा सम्पुष्टि करने के उपरान्त मूल सेवापुस्त एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया गया है। तदोपरान्त जिला अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को समूह'ग'(तृतीय वर्ग) में नियुक्ति करने हेतु संबंधित नियोक्ता को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
5	श्री पंकज कुमार	स्व0 अशोक कुमार सिन्हा, भूतपूर्व लैब तकनीशियन, फाईलेरिया नियंत्रण इकाई, मधेपुरा	पूर्व में दिनांक–19.11.2016 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में अपर निदेशक, स्वा0 सेवा(फा0नि0), बिहार पटना के पत्रांक–5, दिनांक–07.01.17 द्वारा आवेदक एवं आश्रित का मूल शपथ पत्र एवं मृत कर्मी का मूल सेवापुस्त उपलब्ध कराया गया है। जिसके अवलोकनोपरान्त पाया गया कि मूल सेवा पुस्तिका में मृत सरकारी सेवक का स्थापना मधेपुरा जिलान्तर्गत नहीं है। तदोपरान्त जिला अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नियमानुसार स्थापना वाले जिला में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किया जाना है। **अतएव आवेदक का मूल आवेदन अनुलग्नक सहित सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, बिहार पटना को वापस की जाय।**
6.	मसो0. जूली कुमारी	स्व0 विष्णुदेव रजक, भूतपूर्व अनुसेवक, अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा	पूर्व में दिनांक–19.11.2016 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में मृत सरकारी सेवक के मूल सेवापुस्त में सेवा के सम्पुष्टि का अंकन नहीं किया गया है। फलतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सेवापुस्त में सर्वप्रथम सेवा सम्पुष्टि का अंकन करवाया जाय तत्पश्चात् अनुकम्पा समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाय।

7.	श्री मनीष कुमार	स्व0 नवीन कुमार वर्मा, भूतपूर्व पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय, मुरलीगंज।	पूर्व में दिनांक–19.11.2016 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कार्यालय के पत्रांक–1049–2/स्था0, दिनांक–20.12.16 द्वारा मृत कर्मी के मूल सेवापुस्त की माँग की गयी थी, जो अप्राप्त है। अतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मृत कर्मी के मूल सेवापुस्त की माँग हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज को स्मारित किया जाय। तदोपरान्त अनुकम्पा समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाय।
8	श्री विनय कुमार ठाकुर	स्व0 प्रमिला देवी, भूतपूर्व अनुसेविका, सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज	पूर्व में दिनांक–19.11.2016 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कार्यपालक अभियंता, सिचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज द्वारा कार्यालय पत्रांक–67, दिनांक– 24.01.17 से सेवापुस्त में सेवा का प्रमाण अंकित कर उपलब्ध कराया गया। जिसपर अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि सेवा सम्पुष्टि का अंकन नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। तदोपरान्त अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिंया गया कि मृत कर्मी के सेवापुस्त में नियुक्ति पदाधिकारी से सेवा सम्पुष्टि का अंकन करवाया जाय। तत्पश्चात अगली अनुकम्पा समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जाय।
9	असगरी प्रवीण	स्व0 मो0 अंजीमउद्दीन, भूतपूर्व पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय, मधेपुरा	पूर्व में दिनांक–19.11.2016 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में आवेदिका द्वारा दिनांक–22.12.16 द्वारा उनकी माँ एवं बड़ी बहन का अनापत्ति से संबंधित शपथ पत्र समर्पित किया गया है। अनुकम्पा समिति द्वारा इनके नियुक्ति के संदर्भ में विचार किया गया। दिनांक–01.11.14 को अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार तत्समय आवेदिका द्वारा सक्षम न्यायालय से परित्यक्ता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने के कारण इनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था। आवेदिका द्वारा पुनः न्यायालय प्रथम न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मधेपुरा द्वारा विवाह विघटन वाद सं0–65/14 में दिनांक–17.05.16 को पारित आदेश की प्रति के साथ पुनः विचार करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया। सम्पूर्ण आवेदन के अवलोकनोपरान्त अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदिका के मामले में सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन की माँग की जाय तत्पश्चात अगली अनुकम्पा समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जाय।